भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2074
10 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 टीकाकरण में निजी अस्पतालों की भागीदारी

2074. श्री एस. वेंकटेशन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण में निजी अस्पतालों की भागीदारी सुनिश्चित की है और यदि हां, तो कोविड-19 टीकाकरण में कितने सरकारी और निजी केन्द्र/अस्पताल कार्यशील हैं और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में कितने प्रतिशत निजी क्षेत्र के अस्पतालों की भागीदारी रही है;
(ख) निजी अस्पतालों को दी गई कोविड-19 टीकों की आपूर्ति का वास्तविक प्रतिशत कितना था तथा निजी अस्पतालों में इन टीकों की कितने प्रतिशत मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सका;
(ग) क्या सरकार का विचार निजी अस्पतालों द्वारा इन टीकों का पूर्णतया उपयोग न किए जाने के कारण इनके लिए टीकों के आबंटन में कटौती करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश में कई टीकाकरण केन्द्रों में फर्जी या नकली टीका लगाए जाने का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो सरकार को ऐसे कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है; और
(ङ) फर्जी या नकली टीके संबंधी कांड में कुल कितने दोषी हिरासत में लिए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड-19 टीके सरकारी और निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) में लगाए जाते हैं। दिनांक 1 मई, 2021 से सरकारी और निजी सीवीसीवार आंकड़े रखे गए और तथा सरकारी सीवीसी में कोविड-19 की कुल 108.55 करोड़ रु. की खुराक(96.3%)

दी गई है जबकि 7 दिसंबर,2021 की स्थिति के अनुसार निजी सीवीसी में 4.12 करोड़ रु. की खुराक (3.7%) दी गई थी।

7 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, निजी अस्पतालों द्वारा कुल 4.61 करोड़ रु. की कोविड-19 टीकों की खुराक की अधिप्राप्ति की गई है और 49 लाख खुराकें निजी अस्पतालों में शेष बची हैं। 21 जून, 2021 से प्रभावी राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संशोधित दिशानिर्देश के अंतर्गत स्वदेशी वैक्सीन विनिर्माताओं के पास उनके 25% तक मासिक वैक्सीन उत्पादन का सीधे निजी अस्पतालों के लिए प्रावधान किए जाने तथा शेष वैक्सीन को भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्त किए जाने का विकल्प है।

भारत सरकार ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से नकली कोविड टीकाकरण शिविरों और/अथवा नकली टीकों की घटनाओं की सूचना मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने औपचारिक रूप से राज्य सरकारों को इन मामलों की जांच करने तथा तत्काल कड़ी और प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो। इसके अलावा, सावधानी और तत्काल कार्रवाई के अतिरिक्त उपायों के तौर पर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखला के भीतर सतर्कता में वृद्धि करने तथा उत्पादों तथा इनके उपयोग से पूर्व इनकी वास्तविक स्थिति सावधानीपूर्वक प्राधिकृत किए जाने के लिए कहा गया था ताकि ऐसी अनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा सके।

*****